

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2020/कोटा रोडस/एफसीए/प्रमुवसं./ 6124

दिनांक 26/5/2023

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:- Construction of approach road to sangahedi proposal sanction under new village connectivity road total road length 1.80 km and proposed forest land 0.41 hact. this road is off taking from (Proposal No.- FP/RJ/ROAD/45388/2020)

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. संलग्न के0एम0एल0 फाइल में वन भूमि एवं गैर वन भूमि की सीमा में एरिया छूटा हुआ है उक्त क्षेत्र को शामिल किया जावे।
2. संलग्न डी0जी0पी0एस0 मेप एवं राजस्व मेप में सड़क के एलायमेंट विरोधाभासी है आवेदित क्षेत्र अनुसार ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।
3. प्रस्तावित वन भूमि में कार्य वर्ष 2021 के उपरांत होना पाया गया है किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं माना गया है कारण स्पष्ट किया जावे और वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार कार्यवाही करावे।।
4. के0एम0एल0 फाइल राजस्व मेप के अनुसार नहीं बनी है। राजस्व मेप में दो सेगमेंट है जबकि के0एम0एल0 फाइल में एक ही सेगमेंट दिया गया है
5. खसरा अनुसार रिपोर्ट में 260 ने का खसरा वन विभाग के नाम नहीं है।
6. उप वन संरक्षक द्वारा वन भूमि का विधिक अस्तित्व राजस्व लिखा गया है जबकि उक्त क्षेत्र वन विभाग की खातेदारी में है।
7. यूजर ऐजेन्सी उक्त ग्राम में प्राप्त वन/गैर वन भूमि को पृथक पृथक रंग से दर्शाया जाकर आस पास की सीमा बनायी जावे।
8. आवेदित क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में वृक्ष पूर्व में ही काटे जा चुके हैं तो फिर 59 वृक्ष कहीं आ रहे हैं।
9. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
10. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 8 में वन्यजीव की उपस्थिति का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
11. प्रकरण में 56 वृक्ष का आना अवगत कराया गया है तो 100 वृक्षों की क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना किस आधार पर संलग्न की गयी है। प्रकरण में कांअ जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी है।
12. क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना के डी0जी0पी0एस0 मेप एवं जी0टी0 शीट मेप सही संलग्न नहीं किये गये हैं।
13. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि आरक्षित वन भूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न करे।
14. उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन को स्पष्ट नहीं दर्शाया गया है।
15. उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा नहीं की गयी है।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2020/कोटा रोडस/एफसीए/प्रमुवसं./ 6125-26
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 26/5/2023

1. उप वन संरक्षक, कोटा।
2. EXECUTIVE ENGINEER PWD DISTRICT DN KOTA RAJ BHAWAN ROAD NAYAPURA KOTA.

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर